



पर्यावरण एवं वन विभाग

किसान बंधुओं के लिए कृषि वानिकी योजना में शामिल होने का सुअवसर

कृषि वानिकी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

- वन प्रमंडल का नाम :-
- जिला का नाम :-.....
- वन प्रखेत्र इकाई का नाम :-
- प्रखंड का नाम :-.....
- आवेदक का नाम :-.....
- पिता/पति का नाम :-.....
- पेशा :-.....
- जन्म तिथि :-.....
- स्थायी पता :-
- वर्तमान पत्राचार का पता :-
- ई-मेल (यदि हो) :-
- भूमि का विवरण :-

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- अगर आप प्राथमिकता क्रम 2(i) या 2(ii) के तहत दावा रखते हैं तो इसकी विवरणी अंकित करें।

- प्रस्तावित वृक्षारोपण (कृपया / करें)

(क) फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)

(ख) कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)

- इच्छित प्रजाति का नाम लिखें।

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या

- बैंक खाता विवरणी :-

बैंक खाता नं०	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C कोड

- घोषणा :- मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी।

संलग्न अभिलेख की विवरणी

-
-
-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
(तिथि के साथ)

योजना का उद्देश्य

- राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढीकरण।
- राज्य में वृक्षारोपण द्वारा हरियाली में वृद्धि एवं पर्यावरण शुद्धिकरण।

योजना में दिये जाने वाले लाभ

- चयनित किसानों को पौधे निःशुल्क उपलब्ध।
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी।
- प्रोत्साहन के तौर पर उत्तरजीविता के अनुसार प्रथम वर्ष के अंत में 10 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 10 रुपये एवं तृतीय वर्ष के अंत में 15 रुपये प्रति पौधा।
- पौधों पर किसान बंधुओं का संपूर्ण अधिकार।

चयन में प्राथमिकता

- 2 हे० न्यूनतम भूमि (एक साथ) पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक (i) किसान; (ii) किसान समूह
- (i) पूर्व से लगाये गये वृक्षों के साथ मिलाकर भूमि का रकबा 2 हे०; एवं (ii) विभाग द्वारा पूर्व से लगाये गये वृक्षारोपण के बगल की जमीन।

“खेती के साथ पेड़ लगायें,
परिवार में खुशहाली लायें,
राज्य में हरियाली बढ़ायें”

आवेदन पत्र जमा करने की
अंतिम तिथि 15 जुलाई
2017 है।

योजना में शामिल होने के लिए पात्रता

- न्यूनतम 100 पौधे लगाने लायक भूमि (निजी/लीज)।

आवेदन कहाँ करें

- स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय
या
वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजात

- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अद्यतन लगान रसीद/लीज डीड की छायाप्रति।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें

- संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय
- बेबसाईट:- www.forest.bih.nic.in
- ई-मेल:- hariyalimission@gmail.com
- मो० नं०- 9473045992